राजेंद्र सिंह कटोच

बनाम

चंडीगढ़ प्रशासन और अन्य

12 अक्टूबर, 2007

[एस. बी. सिन्हा और हरजीत सिंह बेदी, जे. जे.]

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 -एस.154-एफ़. आई. आर.-पंजीकरण का-कब-आयोजितः यद्यपि सक्षम अधिकारी कानूनी रूप से पंजीकरण करने के लिए बाध्य है। लेकिन प्रारम्भिक जांच के बाद प्राधिकारी यह पाता है कि आरोप सही नहीं है, वे ऐसी एफ. आई. आर. दर्ज करने के लिए बाध्य नहीं हैं।

समाधान-सिविल उपचार-आपराधिक कार्यवाही-संयुक्त पारिवारिक संपत्ति का आनंद लेने के लिए सह-भागीदार के अधिकार को लागू करने के लिए उपाय आयोजित - इस तरह के अधिकार दीवानी प्रकृति के होने के कारण, दीवानी कानून के तहत उपचार का सहारा लेना होगा न कि आपराधिक कार्यवाही का।

अपीलार्थी को सहहिस्सेदार (प्रतिवादी संख्या 4) द्वारा संयुक्त पारिवारिक संपत्ति तक पहुँच से वंचित कर दिया गया था। उनकी एफ.

आई. आर. दर्ज नहीं की गई थी। उन्होंने एक आवेदन अन्तर्गत धारा 482 सीआर. पी. सी. पेश की कि अधिकारियों को निर्देश दे कि प्रतिवादी संख्या 4 के खिलाफ मामला दर्ज करें और वह खारीज कर दी गयी।। इसलिए वर्तमान अपील।

याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा, धारित किया

1. हालांकि एक पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी प्रथम सूचना रिपोर्ट धारा 154 सीआर. पी. सी. में पंजीकृत करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य है, यदि उनके द्वारा लगाए गए आरोप एक ऐसे अपराध को जन्म देते हैं जिसकी बिना किसी अनुमति के जांच की जा सकती है। तथापि, संबंधित मजिस्ट्रेट से, वही स्वयं करता है, किसी दिए गए मामले में प्रारंभिक जांच करने के लिए सक्षम अधिकारी के अधिकार को नहीं छीनना, ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या पहला दर्ज करने के लिए मांगी गई जानकारी में कोई सार था या नहीं। इसमें मामले में, अधिकारियों ने मामले की जांच शुरू कर दी है। वास्तव में, पुलिस अधीक्षक ने स्वयं निर्देशों का पालन किया है उच्च न्यायालय द्वारा जारी, मामले की जांच की और दौरा किया  याचिकाकर्ता की शिकायत में सच्चाई का पता लगाने के लिए स्थान पड़ोसियों से यह पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा की गई शिकायत झूठी थी और यह पाया कि उसका  पहली मंजिल पर अवैध

कब्जा करने का उद्देश्य था। इस प्रकृति का मामला जहां प्राधिकारी कानून से बाध्य है और पहले ही उन्होंने मामले का अनुसंधान कर लिया है और पाया कि लगाए गए आरोप प्रत्यर्थी संख्या 4 के खिलाफ अपीलकर्ता द्वारा सही नहीं थे, तो यह इस न्यायालय के लिये प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के लिए कोई निर्देश जारी करना उचित नहीं होगा। [पैरा 8 और 10] [249-ए, बी, सी, ई]

2. संयुक्त परिवार की संपत्ति का आनंद लेने का सह-हिस्सेदार का सिविल अधिकार है। ऐसा अधिकार, यदि दूसरे सह-भागीदारों द्वारा एक के लिए अस्वीकार किया जाता है या किसी अन्य द्वारा, तब उसका उपचार सिविल कानून का सहारा लेकर लागू किया जाना चाहिए। इस तरह के सिविल अधिकार को लागू करने के लिए आपराधिक कार्यवाही का सहारा नहीं लिया जाए। [पैरा 9 और 10] [249-डी, ई]

शशीकांत बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो और अन्य। ( 2006 ) 11 स्केल 272 पर भरोसा किया गया।

रमेश कुमारी बनाम राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली) और अन्य। [ 2006 ] 2 एससीसी 677, संदर्भित किया गया।

आपराधिक अपील क्षेत्राधिकारः आपराधिक अपील सं. 1432/2007

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, चंदीगढ़ के निर्णय और अंतिम आदेश दिनांक 12.12.2005 से सी.आर.एल. विविध सं. 2206-एम 2005 के संबंध में पारित।

आशा जैन मदन, मुकेश जैन और दुष्यंत पाराशर अपीलार्थी के लिये।

रोमेश गौतम, गीतांजलि शंकर, डॉ. कैलाश चंद और कामिनी जेसवाल उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय एस. बी. सिन्हा  जे. द्वारा दिया गया था।

1. अनुमति दी गई।

2. अपीलार्थी और प्रत्यर्थी सं. 4 भाई आैर सह-हिस्सेदार है। उनके पास संयुक्त रूप से कुछ संपत्तियां हैं। यहां अपीलार्थी  2001 में पारिवारिक घर में कभी-कभी रहने के लिए चंडीगढ़ आया था। उसने कथित तौर पर अपना सामान वहाँ रखा और दिल्ली वापस आ गया।

3. 2002 में जब वे चंडीगढ़ आए तो उनके भाई ने उन्हें कथित तौर पर घर में घुसने से रोक दिया गया था। पुलिस थाने में उनकी शिकायत अनशुनी कर दी गयी। उनके अनुसार, प्रथम सूचना रिपोर्ट थी  इस तथ्य के बावजूद पंजीकृत नहीं की गई कि इसमें एक संज्ञेय अपराध का खुलासा किया है।

4. उसने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के समक्ष दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत आवेदन दायर किया। उक्त आवेदन को यह कहते हुये  खारिज कर दिया गया, जिसमें कहा गया थाः

> "याचिकाकर्ता ने यह याचिका धारा 482 सीआर.पी.सी. के तहत दायर की है कि उत्तरदाता संख्या 2 और 3 को प्रत्यर्थी सं. 4 के खिलाफ घर में अतिक्रमण और चोरी के लिये मामला दर्ज करने के लिए निर्देश जारी करे।प्रत्यर्थी संख्या 4 याचिकाकर्ता का सगा भाई है। विचाराधीन घर सात कानूनी उत्तराधिकारियों की संयुक्त संपत्ति है। याचिकाकर्ता के पिता की मृत्यु के बाद सात व्यक्तियों को यह विरासत में मिली है। जवाब में कहा गया है कि याचिकाकर्ता उपरोक्त घर में नहीं रह रहा था और पारिवारिक विवाद होने के कारण उसके द्वारा लगाए गए आरोप झूठे पाये गये।"

5. इस प्रकार, अपीलार्थी हमारे सामने है।

6.  अपीलार्थी की ओर से पेश विद्वान वकील सुश्री आशा जैन मदन प्रस्तुत होकर कथन किया  कि इस तथ्य के बावजूद कि संपत्ति एक संयुक्त संपत्ति थी, भारतीय दंड संहिता की धारा 339 में निहित प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, प्रतिवादी गलत तरीके से अपीलार्थी को संपत्ति की

पहली मंजिल पर कब्जा करने और उसके सामान तक पहुंच से रोक नहीं सकता था। यह आग्रह किया गया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 की शर्तों के अनुसार, आरोपों से एक संज्ञेय अपराध के होने का खुलासा होने पर पुलिस अधिकारियों का कर्तव्य था कि वे प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करें।

7. प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील सुश्री कामिनी जैसवाल और प्रत्यर्थी संख्या 4 की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री रमेश गौतम ने तथापि, निर्णय का समर्थन किया।

8. हालाँकि पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के संदर्भ में कानूनी रूप से प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के लिये बाध्य होता है। यदि उनके द्वारा लगाए गए आरोप एक अपराध जिसकी जाँच बिना संबंधित मजिस्ट्रेट की अनुमति के की जा सकती है; हालाँकि, यह अपने आप में किसी दिये गये मामले प्रारंभिक जांच करने सक्षम अधिकारी के अधिकार को नहीं छीनता है। ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या पहली सूचना में कोई तथ्य था या नहीं। इस मामले में अधिकारियों ने मामले की जांच की थी। वास्तव में, पुलिस अधीक्षक ने स्वयं उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार जांच की है। मामला और शिकायत में पड़ोसियों से सच्चाई का पता लगाने के लिए घटनास्थल

का दौरा किया। यह पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा की गई शिकायत झूठी थी याचिकाकर्ता का उद्देश्य घर की पहली मंजिल पर अवैध कब्जा करने का था और इसे एक अन्य शिकायत के साथ दायर किया गया था।

9. सुश्री मदन ने तर्क दिया कि अपीलार्थी का संयुक्त परिवार में रहने का अधिकार को छीना  नहीं किया जा सकता है। संयुक्त परिवार की संपत्ति का आनंद लेने का सह-भागीदार का अधिकार एक सिविल अधिकार है। ऐसा अधिकार, यदि अन्य सहहिस्सेदार द्वारा एक या दूसरे कारण से अस्वीकार किया जाता है तो सिविल कानूनों के तहत उपलब्ध उपचारों का सहारा लेकर लागू किया जाना चाहिए।

10. हमारी राय में, ऐसे सिविल अधिकार को लागू करने के लिए आपराधिक कार्यवाही का सहारा नहीं लिया जा सकता है। किसी भी घटना में, इस प्रकृति के मामले में जहां कानून द्वारा बाध्य अधिकारियों ने पहले ही जांच कर ली है और पाया कि प्रतिवादी संख्या 4 के खिलाफ अपीलार्थी द्वारा लगाए गए आरोप सही नहीं थे,  हमारे लिए प्रथम सूचना दर्ज करने के लिए प्रत्यर्थी सं.1 से 3 को कोई निर्देश जारी करना उचित नहीं होगा।

11. हम रमेश मामले में इस अदालत के फैसले से अनजान नहीं हैं। पुलिस अधिकारी में वैधानिक कर्तव्य पाया गया है। लेकिन, जैसा कि इससे पहले संकेत दिया गया है, किसी उपयुक्त मामले में, पुलिस अधिकारियों

का भी कर्तव्य होता है कि प्रारंभिक जाँच करे ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या आरोप लगाए गए हैं, में कोई तथ्य था या नहीं।

शशीकांत बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो और अन्य ( 2006 ) 11. स्केल 272 में इस न्यायालय ने कहाः

> "जून 2004 में केवल एक गुमनाम शिकायत की गई थी। जाहिर तौर पर यह प्रारंभिक जांच शुरू करने वाले पहले प्रतिवादी के प्रांत के भीतर थी। सीबीआई मैनुअल में निर्धारित प्रक्रिया और विशेष रूप से जब कुछ लोक सेवकों के भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने की आवश्यकता होती है, तो मैनुअल के प्रावधानों का सहारा लेना अनुचित नहीं कहा जा सकता है। प्रारंभिक जांच को नियमित मामले में बदलने का कोई कारण नहीं मिला। पहले प्रतिवादी द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसरण में या उन्हें आगे बढ़ाते हुए, जिसे केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा अनुमति प्राप्त हुई थी, विभागीय कार्यवाही शुरू की गई थी। केंद्रीय सतर्कता आयोग ने दिनांक 04.08.2005 को एक पत्र द्वारा रेलवे बोर्ड को दोषी अधिकारियों के खिलाफ मामूली दंड की कार्यवाही शुरू करने की सलाह दी।"

अपील में कोई दम नहीं है, तदनुसार इसे खारिज किया जाता है।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी विकास कुमार स्वामी (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।